

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।

पत्रांक:- 3478/11-सी-FP/UP/Approach/145661/2021, लखनऊ, दिनांक: मई 21, 2024

सेवा में,

उप वन महानिदेशक(केन्द्रीय),
भारत सरकार,
पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मन्त्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य क्षेत्र),
केन्द्रीय भवन, अलीगंज, लखनऊ।

विषय:- जनपद-देवरिया के अंतर्गत हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि० द्वारा देवरिया-कसया मार्ग (एस०एच०-79) के किमी० नं०-14 से 15के मध्य दांयी पटरी पर गाटा सं०-908, ग्राम-कोन्हवलियाँ, पो०-कंचनपुर, तहसील व जिला-देवरिया में प्रस्तावित पेट्रोल पम्प स्थल से मुख्य मार्ग तक आवागमन में प्रभावित 0.075028 हे० संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 08 वृक्षों/पौधों के पातन की अनुमति के संबंध में।

संदर्भ:- भारत सरकार का पत्रांक-8बी/यू०पी०/06/12/2023/एफ०सी०/547, दिनांक 12.03.2024 एवं मुख्य वन संरक्षक, गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर का पत्रांक-2792/2-6, दिनांक 20.05.2024

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्रों का अवलोकन करने का कष्ट करें। भारत सरकार के उपरोक्त संदर्भित पत्र के द्वारा विषयगत प्रकरण में की गयी आपत्ति का निराकरण कर वांछित सूचना एवं उससे सम्बन्धित अभिलेख मुख्य वन संरक्षक, गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर के उपरोक्त पत्रांक-2792/2-6, दिनांक 20.05.2024 द्वारा इस कार्यालय को प्रेषित किया गया है।

अतः उपरोक्त पत्र की छायाप्रति सहित वांछित सूचना एवं उससे सम्बन्धित अभिलेख ऑनलाइन अपलोड कर इस अनुरोध के साथ संलग्न कर प्रेषित है कि कृपया विषयगत प्रकरण में आवश्यक अग्रेत्तर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नक:-उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(अनुपम गुप्ता)

प्रधान मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ०प्र०, लखनऊ।

पत्रांक:- 3478 /11-सी-FP/UP/Approach/145661/2021, दिनांकित।

प्रतिलिपि:- अपर मुख्य सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र० शासन, लखनऊ को संलग्नक सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संलग्नक: उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. मुख्य वन संरक्षक, गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर।
2. प्रभागीय निदेशक, सा०वा० प्रभाग, देवरिया।
3. उप महाप्रबन्धक (रिटेल), हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि०, गोरखपुर-देवरिया रोड, बैतालपुर, देवरिया।

(अनुपम गुप्ता)

प्रधान मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ०प्र०, लखनऊ।

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर
पत्रांक 2792 /2-6, दिनांक, गोरखपुर, मई 20 /2024

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/
नोडल अधिकारी
उ०प्र०, लखनऊ।

विषय-

जनपद देवरिया के अन्तर्गत हिन्दुस्तान पेट्रोल कारपो० लि० द्वारा देवरिया-कसया मा एच०एच०-79 के किमी० 14 से 15 के मध्य दांयी पटरी पर गाटा संख्या- 908, ग्राम-कोन्हवलिये पो०-कंचनपुर, तहसील व जिला-देवरिया में प्रस्तावित पेट्रोल पम्प स्थल से मुख्य मार्ग तत् प्रभावित 0.075028 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 08 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

संदर्भ-

भारत सरकार के पत्र सं०-8बी/यू०पी०/06/12/2023/एफ०सी०/547 दिनांक 12.03.2024 ए मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी उ०प्र० लखनऊ का पत्रां० 2296/11-सी-एफ०पी०/यू०पी०/एप्रोच/145661/2021, दिनांक 13.03.2024 एवं प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी वन प्रभाग, देवरिया का पत्रांक-2528/2-6, दिनांक 26.04.2024

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें। प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी वन प्रभाग, देवरिया ने अपने पत्रांक-2528/2-6, दिनांक 26.04.2024 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा उक्त बिन्दुओं का निराकरण कर संशोधित प्रस्ताव /अभिलेख इस कार्यालय को उपलब्ध कराया गया। प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, देवरिया द्वारा उपलब्ध करायी गयी संशोधित प्रस्ताव/अभिलेख एत्सह संलग्न कर आपकी सेवा में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
संलग्नक:- उपरोक्तानुसार

भवदीय,

(भीम सेन)

मुख्य वन संरक्षक,

गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर

संख्या-

अ/ दिनांकित।

प्रतिलिपि प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, देवरिया को उनके संदर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

(भीम सेन)

मुख्य वन संरक्षक,

गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर

कार्यालय प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, देवरिया
पत्रांक 2528/2-6 दिनांक, देवरिया, अप्रैल 26 / 2024
सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक,
गोरखपुर मण्डल,
गोरखपुर ।

विषय :- जनपद-देवरिया के अन्तर्गत हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा देवरिया-कसया मार्ग (एस0एच0-79) के कि0मी0 14 से 15 के मध्य दांयी पटरी पर गाटा संख्या-908 ग्राम-कोन्हलियों पो0-कंचनपुर, तहसील व जिला-देवरिया में प्रस्तावित पेट्रोल पम्प स्थल से मुख्य मार्ग तक आवागमन में प्रभावित 0.075028 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 08 वृक्षों/पौधों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में ।

सन्दर्भ :- भारत सरकार के पत्र सं0-8बी/यू0पी0/06/12/2023/एफ0सी0/547 दिनांक 12.03.2024 एवं मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या-2296/11-सी-एफ0पी0/यू0पी0/एप्रोच/145661/2021 दिनांक 13.03.2024 ।

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र द्वारा मांगी गयी वांछित सूचना निर्धारित प्रारूप में निम्न

प्रकार है:-

क्र0 सं0	आपत्ति	उत्तरालेख
1	2	3
1	वन (संरक्षण एवं सम्बर्द्धन अधिनियम) के 1980 के उल्लंघन करने पर धारा-3ए, 3बी, के तहत प्रभागीय निदेशक द्वारा कार्यवाही की गयी है?	विषयगत प्रकरण में बिना स्वीकृति के वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोग किया गया है। जो वन संरक्षण अधिनियम-1980 का उल्लंघन है। इसमें भारतीय वन अधिनियम-1927 की धारा-33 के अन्तर्गत एच-2 केस जारी करते हुए प्रतिकर की धनराशि रू0 40,000.00 ई-3 संख्या-12943/41 दिनांक 01.06.2023 द्वारा वसूल किया गया है तथा वन संरक्षण अधिनियम-1980 की धारा-3बी, के तहत कार्यवाही की गयी है। एच-2 केस की छाया प्रति संलग्न है।

संलग्नक:-उपरोक्तानुसार ।

निहित

महोदय
01.05.2024

6351
26
09-05-2024

भवदीय

R. Jha
(जगदीश आर)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग, देवरिया

सामाजिक वानिकी प्रभाग, देवरिया

वन अपराध

रिपोर्ट नं०

दिनांक

रेन्ज

वीट

रेन्ज केस नम्बर

40/2023-24

20 20

1. अभियुक्त के नाम पिता का नाम तथा पता

अभि - कौन बाला, पिता - कचनपुर, पता - मरहत्या
जिला - देवरिया (उ०प्र०)

2. गवाह का नाम, आत्मज तथा पता

अनुगत कौन, देवरिया जिला देवरिया

3. कथित अपराध का पूरा विवरण

देवरिया - कसगा मार्ग कि० मी० 14 से 15
के समय कौन कचनपुर गाँव - कचनपुर, पता - कचनपुर
जिला - देवरिया (उ०प्र०)
अनुगत के 0.075029 के देवरिया में जिला आमतौर पर
किमा जंगल, जो वन क्षेत्र का है।
का इलाका है।

4. अपराध के समय यदि अपराधी का कोई सामान अपराध से सम्बन्धित पकड़ा गया हो तो उसका विवरण

5. कुल हानि का मूल्यांकन

6. बरामद की गयी लकड़ियों का विवरण एवं रखने का स्थान

7. चालान तथा जाँच के सम्बन्ध में टिप्पणियाँ

आज दि० 26/12/2022 के देवरिया
14-15 के समय कचनपुर गाँव - कचनपुर, पता - कचनपुर
जिला - देवरिया (उ०प्र०)
अनुगत के 0.075029 के देवरिया में जिला आमतौर पर
किमा जंगल, जो वन क्षेत्र का है।
का इलाका है।

